कार्यवृत्त

बुधवार, 05 अग्रहायण, शक संवत्, 1936
(दिनांक 26 नवम्बर, 2014 ई0)

खण्ड-41
अंक-3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 2 के क्रम में श्री अध्यक्ष ने सरकार को निर्देशित किया कि विधायक निधि की धनराशि जो दो किश्तों में दी जाती है उसे एक मुश्त एक किस्त में जारी की जाए।

तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में सूचनाएं एकत्र किये जाने के क्रम में श्री अध्यक्ष ने प्रश्न स्थगित किया।

आज नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित प्राप्त 06 सूचनाएं स्वीकृत एवं पढ़ी हुई मानी गयी :-

1. श्री मदन कौशिक	जनपद हरिद्वार के ग्राम सभा सोहलपुर सिकरोढ़ा परगना रुड़की तहसील हरिद्वार में ब्रिटिश काल से गांव मौजा सोहलपुर सिकरोढ़ा के खसरा न0 252 में स्थित कुऑ खसरा खतौनी में इन्द्राज नहीं होने के कारण उस भूमि पर गांव के प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा करने के प्रयास के संबंध में।
2. श्री राजकुमार ठुकराल	विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सम्पर्क सड़क मार्गों के निर्माण के संबंध में।
3. श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछिना के ग्राम धूरोली, रैतुड़ा, आली ग्राम हेतु 20 वर्ष पूर्व बनी पेयजल लाईन के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में।
4. श्री अरविन्द पाण्डेय	गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा सड़क मार्ग का धन स्वीकृति के पश्चात् भी अभी तक निर्माण कार्य नहीं किये जाने के संबंध में।
5. श्री दिलीप रावत	विधान सभा लेन्सडाउन के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने के संबंध में।
6. श्री पूरन सिंह फर्त्याल	जनपद चम्पावत में घरेलू कुकिंग गैस की वर्तमान बुकिंग व्यवस्था के कारण जनता को हो रही भारी दिक्कतों के संबंध में।

आज नियम-310 के अन्तर्गत हल्द्वानी में 7 वर्षीय नाबालिक की हत्या हो जाने पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्य 'वेल' में हाकर अपनी-अपनी बात को जोर से कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध किये जाने पर श्री सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया। इस पर **श्री अध्यक्ष ने 12:27 पर सदन की कार्यवाही 01:00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

01:00 बजे सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का समय 01:30 तक बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 01:30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध करने पर भी सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि जो सूचना नियम-310 के अन्तर्गत दी गई है उस सूचना को वे ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष ने 01:37 पर सदन की कार्यवाही 03:00 बजे तक के लिए स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

विपक्ष के कुछ सदस्य 'वेल' पर बैठे रहे।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूर्व में दी गई नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि सदन को व्यवस्थित करायें लेकिन 'वेल' में बैठे सदस्य अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहते हुए नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2014 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या एक में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री पिन्टू, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 2 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रवीन कुमार, निवास पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-2, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 3 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती सुशीला, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-3 व् पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 4 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कल्लू, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-4, पो0 ढकरान, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 5 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री इनाम, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-5, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 6 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री करेशन निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-6, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 7 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मामचन्द, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-7, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 8 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री इरशाद, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-8, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 9 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री शमीम, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-9, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 10 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में'' श्रीमती रहीशा, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-10, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 11 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री मुकेश, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-11, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 12 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री वसीम, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-12, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 13 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री नवाब, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-13, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 14 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री मुकेश कुमार, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-14, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 15 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में'' श्रीमती प्रकाशी, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड न0-15, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केदारवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अकबर अली, निवासी ग्राम पंचायत केदारवाला, पो0 केदारवाला, हसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेंहूंवाला खालसा में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री स्वराज, निवासी ग्राम पंचायत मेंहूंवाला खालसा, पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत प्रतीतपुर व ग्राम बांसोवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री किशोरी, निवासी ग्राम पंचायत प्रतीतपुर, पो0 धर्मावाला, तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम सिसैया (मेलाघाट) गांव के आगे मोलाघाट नेपाल रोड़ नाले की 32 फुट चौड़े पुल के निर्माण करवाने के सम्बन्ध में" श्री कुसुम देवी, निवासी ग्राम सिसैया अमाऊ, खटीमा पो0 खालीमहुवट, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित किये जाने हेतु श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत दियॉ-गांगी गिधौर, विकास खण्ड खटीमा के 5 कि0मी0 नालों की सफाई एवं चौड़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में" श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम पंचायत दियॉ-गांगी गिधौर, पो0 बिरिया मझोला विकास खण्ड खटीमा जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित किये जाने हेतु श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के मध्य कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के मध्य आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य औद्योगिक विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के मध्य औद्योगिक विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 नवम्बर, 2014 की बैठक में दिनांक 26 नवम्बर, 2014 से दिनांक 27 नवम्बर, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

नवम्बर, 2014

26 बुधवार

1. **विधायी कार्य।**
    (1) उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
    (2) उत्तराखण्ड रज्जू मार्ग विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. सरकारी संकल्प

(1) माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्न सरकारी सकल्प पर चर्चाः- (30 **मिनट**)

"राज्य सरकार प्रदेष में कृशि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिए ऐसी नितियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृशि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेष को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके, अपितु यह उत्पाद प्रदेष की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बन सके।

(2) माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्न सरकारी संकल्प पर चर्चाः- (30 **मिनट**)

"राज्य सरकार विद्यालयी षिक्षा, उच्च षिक्षा तथा तकनीकी षिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार समता तथा सुधारों के लिए ऐसी नितियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेष के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी षिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सके। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेष के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।"

3. <u>विगत सत्र की नियम-54 की सूचना</u>

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 **मिनट**)

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।"

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 **मिनट**)

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।"

3. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 **मिनट**)

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।"

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित नियम-54 की सूचना के प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा :-(30 **मिनट**)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान की अनिवार्यता की जाय।"

5. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 **मिनट**)

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठ्न के पश्वात् प्राधिकरण नई महायोजनाय घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया हैः-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14, मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गटन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।
अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना,जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।"

6. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-(30 **मिनट**)

"उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।"

7. श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि समस्त उत्तराखण्ड राज्य की मलिन बस्तियों में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षो से असहाय रूप से निवास कर रहे निर्धन नागरिकों को उनके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड कर पट्टे प्रदान किये जाएं एवं शहरी कालोनियों में फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ कर नागरिकों को भौमिक अधिकार प्रदान किय जाए।"

8. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में बाल मजदूरी को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।"

9. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगे हुए ग्राम पंचायतों से लोगों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार हेतु एक अलग से योजना बानाई जाय।"

10. श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी सकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण श्रेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्व योजना बना कर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।"

11. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ, निर्मल बनाये जाने के लिए सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करें।"

12. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।"

13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"

14. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

"सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये "गंगा विकास प्राधिकरण" की भांति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाय।"

शेष कार्यकम यथावत।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा नियम-58 में प्राप्त 14 सूचनाओं अस्वीकार की गई।

घोर व्यवधान के मध्य वित्तीय वर्ष 2014-2015 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 3000 हजार (तीस लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(2) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत **रू0 1100000 हजार (एक सौ दस करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-03 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(3) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 127785 हजार (बारह करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(4) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 56464 हजार (पांच करोड़ चौसठ लाख चौंसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-06 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(5) घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत **रू0 4460099 हजार (चार सौ छियालीस करोड़ निन्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-07 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(6) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत **रू0 12250 हजार (एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-08 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-08 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(7) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत **रू0 3 हजार (तीन हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-09 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(8) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 742109 हजार (चौहत्तर करोड़ इक्कीस लाख नौ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-10 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(9) घोर व्यवधान के ही मध्य शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 996268 हजार (निन्यानवे करोड़ बासठ लाख अड़सठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-11 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(10) घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 1062141 हजार (एक सौ छः करोड़ इक्कीस लाख इकतालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-12 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(11) घोर व्यवधान के ही मध्य पेयजल मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 1077930 हजार (एक सौ सात करोड़ उन्यासी लाख तीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-13 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(12) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 271800 हजार (सत्ताईस करोड़ अठारह लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-14 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(13) घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 1346558 हजार (एक सौ चौंतीस करोड़ पैंसठ लाख अट्ठावन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-15 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(14) घोर व्यवधान के ही मध्य श्रम मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 371361 हजार (सैंतीस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-16 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(15) घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 1321484 हजार (एक सौ बत्तीस करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-17 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(16) घोर व्यवधान के ही मध्य सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 38000 हजार (तीन करोड़ अस्सी लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-18 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(17) घोर व्यवधान के ही मध्य ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 29750 हजार (दो करोड़ सत्तानवे लाख पचास हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-19 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(18) घोर व्यवधान के ही मध्य सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 1998063 हजार (एक सौ निन्यानवे करोड़ अस्सी लाख तिरसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-20 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(19) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-22 लोक निमार्ण कार्य के अन्तर्गत **रू0 2980000 हजार (दो सौ अट्ठानवे करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-22 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(20) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 6500 हजार (पैंसठ लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-23 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(21) घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 644662 हजार (चौंसठ करोड़ छियालीस लाख बासठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-24 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(22) घोर व्यवधान के ही मध्य खाद्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 7206 हजार (बहत्तर लाख छः हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-25 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(23) घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 220000 हजार (बाईस करोड़)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-26 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(24) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रू0 333994 हजार (तैंतीस करोड़ उनतालीस लाख चौरानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-27 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(25) घोर व्यवधान के ही मध्य पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 258134 हजार (पच्चीस करोड़ इक्यासी लाख चौंतीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-28 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(26) घोर व्यवधान के ही मध्य उद्यान मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 95571 हजार (नौ करोड़ पचपन लाख इकहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-29 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(27) घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 1143045 हजार (एक सौ चौदह करोड़ तीस लाख पैंतालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-30 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(28) घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 475893 हजार (सैंतालीस करोड़ अट्ठावन लाख तिरानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-31 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोध्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नही हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-25, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नही हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-41, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

"राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एंव इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योंगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।"

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

"राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभा वर्गो के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।"

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।"

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।"

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

> ''उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने संबंधी।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित नियम-54 की सूचना के प्रस्तुतिकरण एवं **चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य द्वारा सूचना सदन में प्रस्तुत नहीं की गईः-**

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान की अनिवार्यता की जाय।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

> ''जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।
>
> वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्वात् प्राधिकरण नई महायोजनाय घोषित तथा लागू कर चुका है।
>
> पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया हैः-
>
> 1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14, मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।
>
> उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।
>
> मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।
>
> प्राधिकरण ने अपने गटन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।
>
> अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना,जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
>
> जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।
>
> महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

> ''उत्तराखण्ड राज्य में ''ईको सेंसटिव जोन'' को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित असरकारी संकल्प के प्रस्तुतीकरण एवं **चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-**

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि समस्त उत्तराखण्ड राज्य की मलिन बस्तियों में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षो से असहाय रूप से निवास कर रहे निर्धन नागरिकों को उनके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड कर पट्टे प्रदान किये जाएं एवं शहरी कालोनियों में फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ कर नागरिकों को भौमिक अधिकार प्रदान किय जाए।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का **प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-**

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में बाल मजदूरी को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का **प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-**

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगे हुए ग्राम पंचायतों से लोगों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार हेतु एक अलग से योजना बानाई जाय।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का **प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-**

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण श्रेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्व योजना बना कर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का **प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-**

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ, निर्मल बनाये जाने के लिए सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करें।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

''इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

''सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति ''यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के कियान्वयन के लिये ''गंगा विकास प्राधिकरण'' की भांति ''यमुना विकास प्राधिकरण'' का गठन भी किया जाय।''

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 08 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के अन्तर्गत पट्टी सकलाना में 15 अगस्त, 2014 को आई भीषण आपदा से विभिन्न ग्रामों की विद्युत लाईनों के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में श्री महावीर सिंह रांगड़ की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा

विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता विधान सभा के अन्तर्गत ऐतिहासिक प्रसिद्व गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब एवं नदीश्वर मन्दिर ध्यानपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में डा0 प्रेम सिंह राना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

जनपद बागेश्वर में उपभोक्ताओं को पैकिंगकर्ता एवं विपणनकर्ता (ए) गोपाल जी डेयरी फुड्स प्रा0लि0 बुलन्दशहर (यू0पी0) (बी) डेयरी इण्डिया प्रा0लि0 गजरौला (यू0पी0) नाम से दूध एवं इससे निर्मित उत्पादों की सप्लाई जांचोपरान्त किये जाने के संबंध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, दुग्ध विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य तथा,

नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पहसेनी में गंगा खादर हरिस्तनापुर से विस्थापित होकर रनसाली गांव में बसाये गये 25 परिवारों को भूमि तथा मालिकाना हक दिये जाने के संबंध में डा0 प्रेम सिंह राना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, राजस्व मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

घोर व्यवधान के मध्य सदन की कार्यवाही 03 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।